अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

गैर सरकारी संस्थाओं से प्रस्ताव का आमंत्रण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर राज्य के वैसी गैर सरकारी संस्थाओं, जो अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षिक उत्थान के लिए कार्यरत है, को अन्य पिछड़ा वर्ग बालक/बालिका छात्रावास निर्माण हेतु लागत राशि का 90% तक सहायता दी जा सकती है।

राज्य की वैसी गैर सरकारी संस्थायें, जिनके अधीन पर्याप्त वैध भूमि (लगभग एक एकड़) उपलब्ध है, अन्य पिछड़ा वर्ग बालक/बालिका छात्रावास निर्माण हेतु आवश्यक कागजात के साथ संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक–31.07.2013 तक आवेदन कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी संबंधित संस्था के प्रस्ताव की जाँच राजपत्रित पदाधिकारी से कराकर 15 दिनों के अंदर जाँच प्रतिवेदन (संबंधित कागजात सहित) अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा वैसे गैर सरकारी संस्थाओं के लिए भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता विमुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी, जो निम्नांकित अर्हता रखते हैं तथा जिनके आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न होंगे।

1. संस्था को राज्य सरकार के निबंधन विभाग द्वारा निबंधित होने संबंधी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. आवेदन करने की तिथि तक निबंधन की अवधि कम–से–कम दो वर्ष होनी चाहिए।
3. भूमि की उपलब्धता से संबंधित दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. छात्रावास निर्माण से संबंधित प्राक्कलन की मूल प्रति।
5. संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संस्था किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था/विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं डाली गयी है।
6. संस्था को यह शपथ पत्र देना होगा कि प्राक्कलन की राशि का 10% उनके खाते में उपलब्ध है एवं इस 10% की राशि सरकारी सहायता प्राप्त होने तक उनके खाते में संधारित रहेगा।
7. संस्था को प्राक्कलन की राशि का कम–से–कम 10% की व्यवस्था अपने आर्थिक स्रोत से करनी होगी।
8. संस्था को यह शपथ पत्र देना होगा कि वे केन्द्रीय/राज्य सरकार की सहायता राशि उसी कार्य के लिए उपयोग करेंगे, जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया जायेगा।

सरकार के उप सचिव